



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र.

326/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2019-20

दिनांक 27/2/2020

प्रति,

कुलसचिव,  
ए.के.एस. विश्वविद्यालय,  
शेरगंज, पन्ना रोड़,  
सतना (म.प्र.) ।

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु समीक्षित शुल्क विषयक ।

—00—

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10) (ख) एवं (ड़) में विनिर्दिष्ट प्रावधानान्तर्गत ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना द्वारा सत्र 2019-20 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्तावित शुल्क संरचना की समीक्षा आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर की गयी थी। शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 02.12.20 एवं 24.12.20 में ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना के द्वारा सत्र 2019-20 के लिए शुल्क संरचना की समीक्षा के संबंध में की गयी अनुशंसाओं का आयोग की बैठक दिनांक 24.12.20 में अनुमोदन किया गया। आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क के अनुक्रम में शुल्क समीक्षा आदेश क्र 109/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.आ./2019-20 दिनांक 17/01/2020 जारी किया गया था।

ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना द्वारा प्रेषित पत्र क्र. एकेएसयू/प्रशा./जनवरी/2020/106 दि. 29.01.20 अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में प्रस्तावित शुल्क संरचना में कतिपय पाठ्यक्रमों की लागत की गणना में त्रुटी हुई थी, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित कर शुल्क समीक्षा समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया गया। शुल्क समीक्षा समिति के विशेषज्ञों सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में संशोधित प्रस्ताव का पुनर्परीक्षण किया गया। शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 01.02.20 में ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना के द्वारा सत्र 2019-20 के लिए प्रस्तुत शुल्क संरचना के संबंध में अनुशंसाएं प्रस्तुत की गईं, जिन्हे आयोग की बैठक दिनांक 04.02.20 में अनुमोदित किया गया।

आयोग की बैठक दिनांक 04.02.2020 में ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना के द्वारा सत्र 2019-20 के लिए अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुक्रम में पूर्व में जारी शुल्क समीक्षा आदेश क्र 109/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.आ./2019-20 दिनांक 17/01/2020 को निरस्त किया जाता है।

आयोग द्वारा ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सत्र 2019-20 हेतु संशोधित अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रु. लाख में)

स. क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शुल्क	आयोग द्वारा समीक्षा उपरान्त अनुमोदित शुल्क		
			पाठ्यक्रम शुल्क	विकास शुल्क	योग
ENGINEERING					
1	Diploma (CE)	0.40	0.34	0.06	0.40
2	Diploma (EE)	0.40	0.34	0.06	0.40
3	Diploma (FT)	0.40	0.34	0.06	0.40
4	Diploma (AG)	0.40	0.34	0.06	0.40
5	Diploma (ME)	0.44	0.37	0.07	0.44
6	Diploma (CT)	0.44	0.37	0.07	0.44

निरंतर-2

//2//

ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना  
शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रु. लाख में)

7	Diploma (MINING)	0.660	0.558	0.098	0.656
8	Diploma (MINE & MINE SURVEYING)	0.75	0.64	0.11	0.75
9	B.TECH (CE)	0.65	0.55	0.10	0.65
10	B.TECH (ME)	0.63	0.54	0.09	0.63
11	B.TECH (CT)	0.62	0.53	0.09	0.62
12	B.TECH (CSE)	0.65	0.55	0.10	0.65
13	B.TECH (EE)	0.65	0.55	0.10	0.65
14	B.TECH (MINING)	0.84	0.71	0.13	0.84
15	M TECH	0.66	0.56	0.10	0.66
16	Ph.D.	0.85	0.72	0.13	0.85
17	B. Tech (hons)	0.70	0.60	0.10	0.70
<b>HUMANITIES</b>					
18	B.A.	0.22	0.19	0.03	0.22
19	Ph.D.	0.60	0.51	0.09	0.60
20	DIPLOMA in FASHION	0.30	0.26	0.04	0.30
21	MSW	0.35	0.30	0.05	0.35
22	MA	0.25	0.21	0.04	0.25
<b>PHARMACY</b>					
23	B. Pharma	0.700	0.595	0.105	0.700
24	DMLT	0.35	0.30	0.05	0.35
25	D. Pharma	0.60	0.51	0.09	0.60
<b>MANAGEMENT</b>					
26	MBA	0.62	0.53	0.09	0.62
27	BBA (Hons)	0.32	0.27	0.05	0.32
28	Ph..D.	0.60	0.51	0.09	0.60
29	MBA Executive	0.700	0.595	0.105	0.70
<b>FINE ARTS AND DESIGN</b>					
30	B.Des	1.55	1.32	0.23	1.55
<b>LIFE SCIENCE AND BIO-TECHNOLOGY</b>					
31	B.SC. (Hons) (Biotech)	0.38	0.32	0.06	0.38
32	B.Tech (Biotech)	0.55	0.47	0.08	0.55
33	Ph.D.	0.60	0.49	0.09	0.58
34	M.Sc. (Biotech) (Micro bio)	0.500	0.425	0.075	0.500
35	M.SC. (EVS)	0.40	0.34	0.06	0.40
36	M.Tech (BT)	0.600	0.51	0.09	0.60
<b>CONNERCE</b>					
37	B.Com (CA)	0.25	0.21	0.04	0.25
38	B.Com (ECO)	0.25	0.21	0.04	0.25
39	B.Com (Hons)	0.35	0.273	0.048	0.321
40	B.Com (Hons) (CSP/CAP)	0.38	0.32	0.06	0.38
41	M.Com	0.22	0.19	0.03	0.22
42	Ph.D.	0.60	0.51	0.09	0.60
<b>COMPUTER APPLICATION IT &amp; SCIENCE</b>					
43	B.SC. (Hons) IT	0.30	0.26	0.04	0.30
44	BCA (Hons)	0.300	0.255	0.045	0.300
45	DCA	0.18	0.15	0.03	0.18

निरंतर-3

//3//

ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना  
 शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
 (राशि रु. लाख में)

46	PGDCA	0.22	0.19	0.03	0.22
47	M.Sc (Cyber Security)	0.40	0.34	0.06	0.40
48	MCA & MCA (LE)	0.44	0.37	0.07	0.44
49	Ph.D.	0.600	0.510	0.090	0.600
<b>FACULTY OF AGRICULTURE SCIENCE &amp; TECHNOLOGY</b>					
50	B.Tech (AG)	0.75	0.64	0.11	0.75
51	B.Tech FT	0.66	0.56	0.10	0.66
52	B.Sc. Hons (AG)	0.60	0.51	0.09	0.60
53	M.Sc. (AG)	0.60	0.51	0.09	0.60
54	Diploma 1 year (AG)	0.40	0.34	0.06	0.40
55	M.Tech (AG)	0.700	0.595	0.105	0.700
56	Ph.D.	0.60	0.51	0.09	0.60
<b>FACULTY OF EDUCATION</b>					
57	B.Ed	0.55	0.47	0.08	0.55
58	D.Ed.	0.525	0.446	0.079	0.525
<b>FACULTY OF BASIC SCIENCE</b>					
59	B.Sc. (CS)	0.25	0.21	0.04	0.25
60	B.Sc. hons	0.25	0.21	0.04	0.25
61	M.Sc. (PCM)	0.30	0.255	0.045	0.30
62	Ph.D.	0.850	0.72	0.13	0.850

नोट - उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी तथा सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर की गई है।

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद एवं अन्य पाठ्यतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। विकास शुल्क की राशी का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. सत्र 2019-20 हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये।

यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।

(चेयरमेन द्वारा अनुमोदित)

  
सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल  
 भोपाल, दिनांक 27/02/2020

पृ. क्रमांक 327 / फीस / म.प्र.नि.वि.वि.आ / 2019-20  
 प्रतिलिपि-

1. कुलपति, ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
3. आई.टी.प्रकोष्ठ की ओर इस निर्देश के साथ कि शुल्क समीक्षा आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. गार्ड फाईल।

  
सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल